


18/12/25 पत्रावली क्षाज पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील गैर हाजिर। अनुपास्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन बार आवाने लगाई गई बावजूद प्रार्थी व उनके वकील गैर हाजिर रहे। अतः पत्रावली गैर हाजिर एवम एडम फेकी में खारिज की जाती है। पत्रावली फेवल शुमार लेकर आविले इफतर हो एवम नम्बर ले कम हो।

  
सहायक कलक्टर  
1 (SDO) बौहटन

